पत्र सं०-e.gov/SNA-SPARSH-05/2025......470......../

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

मुकेश कुमार लाल,
विशेष सचिव ।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभाग, बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक 14-01-2026

विषयः- **विभिन्न बोर्ड/निगम/सोसाईटी/आयोग आदि संस्थानों को राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये अनुदान एवं वित्तीय सहायता राशि का वित्तीय संव्यवहार पी०एल० खाता के माध्यम से किये जाने के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभाग के अंतर्गत विभिन्न बोर्ड/निगम/सोसाईटी/आयोग आदि संस्थानों को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अनुदान एवं वित्तीय सहायता की राशि उपलब्ध करायी जाती है । समीक्षा के क्रम में यह दृष्टिगत हुआ है कि कई संस्थानों द्वारा राज्य सरकार से प्राप्त राशि को विभिन्न बैंक खातों में संचित कर इसका व्यय किया जाता है ।

2. सम्यक् विचारोपरान्त इस संदर्भ में निर्णय लिया गया है कि विभिन्न संस्थानों, जिनका वित्तीय संव्यवहार बैंक खाता के माध्यम से हो रहा है, द्वारा सरकार से प्राप्त राशि का वित्तीय संव्यवहार पी०एल० खाता के माध्यम से किया जाय ताकि राज्य के नगद अधिशेष (Cash Balance) में अपेक्षित सुधार हो सके तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र पर निर्भरता कम हो सके ।

अतः उपर्युक्त के आलोक में अपने विभाग से संबद्ध सभी बोर्ड/निगम/सोसाईटी/आयोग इत्यादि संस्थानों को, जिनका वित्तीय संव्यवहार बैंक खाता के माध्यम से हो रहा है, के लिए राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान एवं वित्तीय सहायता के रूप में प्राप्त राशि का वित्तीय संव्यवहार पी०एल० खाते के माध्यम से किए जाने हेतु नियमानुसार पी०एल० खाता खोलने हेतु अग्रतर कार्रवाई किये जाने के लिए निदेशित करने की कृपा की जाय ।

कृपया सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय ।

विश्वासभाजन,

(मुकेश कुमार लाल)
विशेष सचिव ।

ज्ञापांक- e.gov/SNA-SPARSH-05/2025......470......पटना, दिनांक- 14-01-2026

प्रतिलिपिः **प्रधान महालेखाकार(ले० एवं ह०),** बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

विशेष सचिव ।

N-36 2025

ज्ञापांक-**e.gov/SNA-SPARSH-05/2025**......470...........पटना, दिनांक-14-01-2026

प्रतिलिपिः **सभी प्रमंडलीय आयुक्त**, बिहार/**सभी जिला पदाधिकारी,** बिहार/**सभी वरीय कोषागार पदाधिकारी,** बिहार/**मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी,** पटना एवं **प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव,** वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

विशेष सचिव ।

N-36 2025